रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222020
CG-DL-E-26092020-222020

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
No. 476]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 585(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 461(अ), तारीख 22 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती थीं, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 22 जुलाई, 2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया जाएगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2020 है।
   (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 में,-

(1) उपनियम (18) के खंड (i) में नीचे दी गई सारणी 2 के टिप्पण में,-

(क) उपखंड (4) के मद (छ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ज) संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) आईएस 17314:2019 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार होंगी ।";

(ख) उपखंड (9) के मद (vi) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(vii) हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) के लिए विशिष्टताएं आईएस 17314:2019 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार होंगी ।";

(ग) उपखंड (19) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"(20) सीएनजी/बायो सीएनजी/एचसीएनजी वाहनों को एआईएस 024, एआईएस-028 पुनर्विलोकन 1 के अनुसार लागू सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करना होगा ।";

(2) उपनियम (18) के खंड (ii) में नीचे दी गई सारणी 2 के टिप्पण में,-

(क) उपखंड (4) के मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(च) संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) आईएस 17314:2019 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार होंगी ।";

(ख) उपखंड (7) के मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(च) हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) के लिए विशिष्टताएं आईएस 17314:2019 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार होंगी ।";"

(ग) उपखंड 16 के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"(17) सीएनजी/बायो सीएनजी/एचसीएनजी वाहनों को एआईएस 024, एआईएस-028 पुनर्विलोकन 1 के अनुसार लागू सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करना होगा ।";

(3) उपनियम (20) में नीचे दी गई सारणी 2 के टिप्पण में,-

(क) उपखंड 4 के मद (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(च) संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) आईएस 17314:2019 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार होंगी ।";

(ख) उपखंड 5 के मद (vi) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(vii) हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) के लिए विशिष्टताएं आईएस 17314:2019 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार होंगी ।";"

(ग) उपखंड 14 के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"(15) सीएनजी/बायो सीएनजी/एचसीएनजी वाहनों को एआईएस 024, एआईएस-028 पुनर्विलोकन 1 के अनुसार लागू सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करना होगा ।";

[फा. सं. आरटी11036/62/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 579 (अ) तारीख 23 सितंबर, 2020 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September,, 2020

G.S.R. 585(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 461(E) dated the 22nd July, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 22nd July, 2020;

AND whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115,-

(1) in sub-rule (18),in clause (i),in the Notes given below Table 2,-

(a) in sub-clause (4), after item (g), the following item shall be inserted, namely:-

"(h) The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.";

(b) in sub-clause (9), after item (vi), the following item shall be inserted, namely:-

"(vii) Specifications for Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.";

(c) after sub-clause (19), the following sub-clause shall be inserted namely:-

"(20) The CNG/Bio-CNG/HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.";

(2) in sub-rule (18),in clause (ii), in the Notes given below Table 2,-

(a) in sub-clause (4), after item (f), the following item shall be inserted, namely:-

"(g) The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time,";

(b) in sub-clause (7), after item (f), the following item shall be inserted, namely:-

"(g) Specifications for commercial Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.";

(c) after sub-clause 16, the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(17) The CNG/Bio-CNG/HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.";

(3) in sub-rule (20), in the Notes given below Table 2,-

(a) in sub-clause 4, after item (e), the following item shall be inserted, namely:-

"(f) The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.";

(b) in sub-clause 5, after item (vi), the following item shall be inserted, namely:-

"(vii) Specifications of commercial Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.";

(c) after sub-clause 14, the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(15) The CNG/Bio-CNG/HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.".

[F. No RT-11036/62/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 579(E) dated 23rd September, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.09.26 11:59:12 +05'30'